प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 70/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Sahar Khan Add: 11-12, Rata-khet, gali no. 3, 80 ft. road, Landmark Rimjhim Vatika, Ghadasana, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कोटड़ा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

दिनांकः 10/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 32987200413862 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 9241491529 दिनांक 05.05.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/70/25/464-65 दिनांक 05.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ा ने जरिये पत्रांकः आरटीआई/2025/145 दिनांक 03.06.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर एवं अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ा द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है एवं प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ा को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराये। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-06-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर